



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 848]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2016/अग्रहायण 22, 1938

No. 848]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2016/AGRAHAYANA 22, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1130(अ).— केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क की उपधारा (1), लागत और संकर्म लेखपाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 22क और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 22क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 3 नवंबर, 2015 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 835(अ) तारीख 3 नवंबर, 2015 द्वारा भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है :--

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक (1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

“(1) न्यायमूर्ति श्री मूल चंद गर्ग,
न्यायाधीश (सेवानिवृत्त),
नई दिल्ली”।

- अध्यक्ष”

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 12/15/2007-पीआई]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, संख्यांक सा.का.नि. 835(अ), तारीख 3 नवंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2016

G.S.R. 1130(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and section 22A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs *vide* notification number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 3rd November, 2015 namely:-

2. In the said notification, for serial number (1) and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

“(1) Shri Justice Mool Chand Garg, —Chairperson”
Judge (Retd.),
New Delhi”.

3. This notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 12/15/2007-PI]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015.